

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला अनूपगढ़
 प्रकरण सं० 110/24 वर्ष 2024

राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती शांति निर्णय दिनांक 22/10/24
 प्रस्तुतिकरण दिनांक 23/9/24

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
---------------	-----------------------------------	---

22/10/24

पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी अनुपस्थित ऑफिस कानूनगों
 उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को
 तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगों ने बताया जमाबन्दी सम्वत ...
 2081...में भूमि रकबा राज दर्ज है।
 अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 16A:S...
का प्रतिवेदन दिनांक 23/9/2024 को स्वीकार
 करते हुए अप्रार्थी श्रीमती शांति पुत्र श्रीराम
 जाति गुवारिया निवासी कुपली
को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22
 के अन्तर्गत चक ...16A:S... नुं. 225/175 कुल 0.003
 ...है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कास्त करने पर
 अतिक्रमी घोषित करते हुए कास्त शुदा फसल को सरकारी सम्पति
 घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का ...50... गुणा राशि .
 2/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अभि 0
को नियुक्त किया ताजा है कि अतिक्रमी को
 बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को लिखवाया
 जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
 श्री विजयनगर
 श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं० की क्रम सं० .
 दिनांक को
दर्ज किया गया।

ता 0 रा 0 ले 0